भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4052
दिनांक 24.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्प्रवास अधिनियम

4052. श्री गौरव गोगोई:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेश मंत्रालय का लंबे समय से लंबित उत्प्रवास अधिनियम को शीघ्र पारित कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में आयोजित 17 वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) की बैठक में विचार–विमर्श किये गए भारतीय प्रवासी कामगारों के सामने आने वाले मुद्दों की सूची क्या है; और

(ग) विदेशों में वेतन चोरी का शिकार होने वाले भारतीय प्रवासियों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) सरकार प्रवासन संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक सक्षम ढांचा तैयार करने की अनिवार्य आवश्यकता के प्रति सजग है। इस दिशा में विदेश मंत्रालय ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद एक मसौदा प्रवासन विधेयक तैयार किया है।

इस मसौदा विधेयक में प्रवासन प्रक्रिया के विभिन्न पहलू शामिल होंगे और यह विदेशों में रोजगार अवसरों का लाभ उठाने के लिए कार्य–बल को सशक्त बनाएगा। यह एक ऐसे सक्षम संस्थागत ढांचे को स्थापित करेगा जो उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित होगा।

(ख) प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों का आयोजन प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों और भारत के विकास में उनके योगदान की पहचान करने और उसे सम्मानित करने के लिए किया जाता है। 17 वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मंत्रिस्तरीय अध्यक्षता वाले निम्नलिखित पांच विषयगत पूर्ण सत्र थे, जिसमें प्रख्यात डायस्पोरा विशेषज्ञों से जुड़ी पैनल चर्चा शामिल थी:

(I) नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका।

(II) अमृत काल में भारतीय हेल्थकेयर इको–सिस्टम को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका: विजन @ 2047।

(III) पूर्ण सत्र III: भारत की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना – शिल्प, व्यंजन और रचनात्मकता के माध्यम से सद्भावना।

(IV) भारतीय कार्यबल की वैश्विक आवाजाही को सक्षम करना – भारतीय डायस्पोरा की भूमिका।

(V) राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों विशेष रूप से महिलाओं की क्षमता का उपयोग करना।

(ग) मदद और ई–माइग्रेट पोर्टल पर 2020–2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान मदद पोर्टल पर भारतीय नागरिकों द्वारा 26730 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिनमें मुआवजे, मजदूरी की चोरी और अवशेष भुगतान से संबंधित मामले शामिल हैं। इस अवधि के दौरान 29640 शिकायतों का समाधान किया गया (इसमें पिछले वर्षों में दर्ज कुछ शिकायतें भी शामिल हैं)।

ऐसे मामलों को मिशनों और केन्द्रों द्वारा आवश्यतानुसार तत्काल संबंधित कंपनियों के साथ समाधान हेतु उठाया गया था। भारतीय मिशनों और केन्द्रों ने हर संभव सहायता प्रदान करते हुए मुद्दे के निपटान हेतु भारतीय श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा भी प्रदान की। इन मुद्दों को उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों के दौरान मेजबान देशों की सरकारों के साथ भी उठाया गया था। इस प्रक्रिया के माध्यम से कई मामले सुलझाए गए हैं। इसके अलावा, कुछ देशों ने प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य श्रमिकों के लिए कल्याणकारी सहायता उपाय भी संस्थापित किए हैं।

सरकार ने भारतीय प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं जो निम्नानुसार है:

भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ): इसकी स्थापना संकट और आपातकाल के समय में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों और केन्द्रों में गई है। इस कोष का उपयोग कानूनी सहायता, भोजन और आवास सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, फंसे हुए भारतीयों को हवाई मार्ग से निकालना और भारतीय नागरिकों के पार्थिव अवशेष के परिवहन में किया जाता है।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना: सरकार ईसीआर देशों में जाने वाले सभी उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के श्रमिकों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना के रूप में प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी अशक्तता के मामलों और अन्य लाभों के लिए 10 लाख भारतीय रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है।

इसके अलावा, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए मदद, ई–माइग्रेट पोर्टल, प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) आदि जैसे कई अन्य तंत्र मौजूद हैं। ऐसे देशों में भारतीय मिशनों और केन्द्रों में समर्पित श्रम/सामुदायिक कल्याण विंग स्थापित किए गए हैं जहां बड़ी संख्या में भारतीय कामगार मौजूद हैं। भारतीय कामगारों की सहायता के लिए मिशनों ने 24x7 हेल्पलाइन और टोल फ्री हेल्पलाइन भी स्थापित की हैं।

*****